



संस्करण 7.0 (2021)

Responsible Business Alliance आचार संहिता

Responsible Business Alliance (RBA), जिसे पहले Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) कहा जाता था, की आचार संहिता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में या ऐसे उद्योगों में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रमुख घटक है, यह सुनिश्चित करने के लिए मानक स्थापित करती है कि काम करने की दशाएं और इसकी आपूर्ति शृंखला सुरक्षित हो, कामगारों के साथ आदर और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए, और यह कि कारोबारी प्रचालन पर्यावरण की दृष्टि से ज़िम्मेदार हों और नैतिक रूप से संचालित किए जाएं।

इस कोड के प्रयोजनों से वे सभी संगठन जो इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले सामान और सेवाओं को डिज़ाइन, उनका विपणन, विनिर्माण या प्रदान कर सकते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का अंग माना जाता है। इस संहिता को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के किसी भी कारोबार द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जा सकता है और बाद में उस कारोबार द्वारा इसे आपूर्ति शृंखला और अनुबंध श्रमिक प्रदाताओं सहित उप-ठेकेदारों पर लागू किया जा सकता है।

इस संहिता को अपनाने और एक प्रतिभागी ("प्रतिभागी") बनने के लिए, कोई कारोबार को इस संहिता के लिए अपना समर्थन घोषित करेगा और इसमें दी गयी प्रबंधन प्रणाली के अनुसार सक्रिय रूप से इस संहिता और इसके मानकों का अनुसरण करेगा।

प्रतिभागियों को इस संहिता को समग्र आपूर्ति शृंखला पहल के रूप में देखना चाहिए। कम से कम प्रतिभागी भी इसके अगले स्तर के आपूर्तिकर्ताओं से इस संहिता को स्वीकार करने और कार्यान्वित करने की अपेक्षा करेंगे।

इस संहिता को अपनाने का मौलिक सिद्धांत यह समझना है कि कोई कारोबार, अपनी सभी गतिविधियों में, उन देशों के कानूनों, नियमों और विनियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए प्रचालन करे जिनमें यह प्रचालन करता है।¹ यह संहिता प्रतिभागियों को कानूनी अनुपालन से परे जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित भी करती है ताकि सामाजिक व पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी व व्यावसायिक सदाचार को आगे ले जा सके। किसी भी मामले में संहिता का अनुपालन स्थानीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर, तथापि, आरबीए संहिता और स्थानीय कानून के मानक अलग-अलग होते हैं, आरबीए में अनुरूपता का निर्धारण सख्त आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में किया जाता है। कारोबार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शी सिद्धांतों (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) के साथ तालमेल रखते हुए, इस संहिता के प्रावधान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त मानकों से लिए गए हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिसमें मूलभूत सिद्धांतों और कार्यस्थल पर अधिकार पर आईएलओ घोषणा व मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सार्विक घोषणा शामिल है।

RBA इस आचार संहिता के निरंतर विकास और कार्यान्वयन के लिए हितधारकों से नियमित रूप से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

इस संहिता में पांच सेक्शन हैं। सेक्शन A, B, और C में क्रमशः श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तथा पर्यावरण के मानक निरूपित किए गए हैं। अनुभाग डी व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित मानक जोड़ता है। अनुभाग ई में इस संहिता के अनुरूप होने के लिए किसी स्वीकार्य प्रणाली के तत्वों को निरूपित किया गया है।

¹ इस संहिता का आशय कामगारों समेत, नए और अतिरिक्त तृतीय पक्ष के अधिकार बनाना नहीं है।
ज़िम्मेदार व्यावसायिक गठबंधन आचार संहिता सं7.0



A. श्रम

प्रतिभागी कामगारों के मानवाधिकारों को कायम रखने और उनका अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा समझी जाने वाली गरिमा तथा आदर से व्यवहार करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह अस्थायी, प्रवासी, विद्यार्थी, संविदा, प्रत्यक्ष कर्मचारियों और किसी अन्य प्रकार के कामगार सहित सभी कामगारों पर लागू होता है। संदर्भों में निर्धारित किए गए संहिता की तैयारी में उपयोग किया गया है और ये अतिरिक्त जानकारी के उपयोगी स्रोत हो सकते हैं।

श्रम के मानक निम्नलिखित हैं:

1) स्वतंत्र रूप से चुना गया रोजगार

बलात, बंधुआ (ऋण बंधन समेत) या करारबद्ध कामगार, अनैच्छिक या शोषणात्मक जेल कामगार, गुलामी या मानव तस्करी की अनुमति नहीं है। इसमें श्रम या सेवाओं के लिए धमकी, बल, जबरदस्ती, अपहरण या धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को ले जाना, आश्रय, भर्ती, स्थानांतरण या प्राप्ति शामिल है। कंपनी में प्रवेश करने या बाहर निकलने पर अनुचित प्रतिबंधों के अलावा कार्यस्थल पर श्रमिकों की स्वतंत्रता पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते, अगर लागू है तो कर्मचारियों के शयनकक्ष या लिविंग क्वार्टर सहित सुविधाएं उपलब्ध हों। काम पर रखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सभी कर्मचारियों को उनकी मूल भाषा में एक लिखित रोजगार समझौते प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें नौकरी के नियमों और शर्तों का विवरण शामिल हो। विदेशी प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल देश से जाने वाले श्रमिक से पहले रोजगार समझौता प्राप्त करना होगा और प्राप्त देश में आने पर रोजगार समझौते में कोई प्रतिस्थापन या परिवर्तन (परिवर्तन) की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ये परिवर्तन स्थानीय कानून को पूरा करने के लिए नहीं किए जाते हैं और समान या बेहतर शर्तें नहीं प्रदान करते हैं। सारा काम स्वैच्छिक होना चाहिए, और अगर कर्मचारी के अनुबंध के अनुसार उचित नोटिस दिया जाता है तो श्रमिकों को किसी भी समय काम पर जाने के लिए अथवा दंड के बिना अपने रोजगार को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। नियोक्ता, एजेंट, और उप-एजेंट पहचान या आप्रवासन दस्तावेजों, जैसे सरकार द्वारा जारी पहचान, पासपोर्ट या कार्य परमिटों को धारण या अन्यथा नष्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें छुपा नहीं सकते हैं, या उनका आदान-प्रदान नहीं कर सकते हैं। नियोक्ता प्रलेखन को केवल तब रोक सकते हैं जब इस प्रकार की होलडिंग्स कानूनन आवश्यक हों। इस मामले में, किसी भी समय कर्मचारियों को उनके दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कामगारों से अपने रोजगार के लिए नियोक्ताओं के एजेंटों या उप-एजेंटों को भर्ती शुल्क या अन्य संबंधित शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि पाया गया कि ऐसे किसी शुल्क का कामगारों द्वारा भुगतान किया गया है, तो ऐसे शुल्क कामगार को चुका दिए जाएंगे।

2) युवा कामगार

विनिर्माण के किसी भी चरण में बाल श्रम का उपयोग नहीं करना है। "बच्चा" शब्द 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति या अनिवार्य शिक्षा पूरी करने से कम आयु या देश में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से कम, जो भी सबसे अधिक हो, का संदर्भ देता है। प्रतिभागी कर्मचारियों की उम्र की जाँच करने के लिए एक उचित व्यवस्था लागू करेंगे। कार्यस्थल पर सीखने के ऐसे वैध कार्यक्रमों का उपयोग, जो सभी कानूनों और विनियमों का पालन करते हों, समर्थित है। 18 वर्ष से कम आयु के कामगार (युवा कामगार) रात की पाली और ओवरटाइम सहित ऐसे काम नहीं करेंगे, जो स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में ज़िम्मेदार व्यावसायिक गठबंधन आचार संहिता सं7.0



डाल सकते हों। प्रतिभागी विद्यार्थियों के अभिलेखों के समुचित रखरखाव, शैक्षिक भागीदारों के कठोर समुचित उद्यम, और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार विद्यार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा के जरिए विद्यार्थी कामगारों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। प्रतिभागी सभी विद्यार्थी कामगारों को उचित सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। स्थानीय कानून की अनुपस्थिति में, विद्यार्थी कामगारों, इंटरन्स और प्रशिक्षुओं के लिए मजदूरी की दर कम से कम वही होगी जो समान या उसी जैसा काम करने वाले प्रवेश-स्तर के अन्य कामगारों की होती है। यदि बाल श्रम की पहचान की गई है, तो सहायता/उपचार प्रदान किया गया है।

3) काम के घंटे

कारोबारी परिपाटियों का अध्ययन कामगारों के तनाव को स्पष्ट रूप से घटी हुई उत्पादकता, बढ़े हुए कारोबार और बढ़ी हुई चोट व बीमारी से जोड़ता है। काम के घंटे स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, आपातकालीन या असामान्य स्थितियों को छोड़कर किसी कार्यसप्ताह में ओवरटाइम समेत प्रति सप्ताह 60 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। समस्त ओवरटाइम को अवश्य ही स्वैच्छिक होना चाहिए। कामगारों को हर सात दिनों में कम से कम एक दिन की छुट्टी दी जाएगी।

4) मजदूरी और लाभ

कामगारों को प्रदत्त मुआवजा का भुगतान न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम के घंटों और कानूनन अधिदेशित हितलाभ से संबंधित सभी लागू मजदूरी कानूनों के अनुरूप होगा। स्थानीय कानूनों का अनुपालन करते हुए, कामगारों को ओवरटाइम का मुआवजा नियमित प्रति घंटा दरों से अधिक वेतन दरों पर दिया जाएगा। अनुशासनात्मक उपाय के रूप में मजदूरी से कटौती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक भुगतान अवधि के लिए, कामगारों को सामयिक रूप से और समझने योग्य मजदूरी विवरण प्रदान किया जाएगा जिसमें किए गए काम के सटीक मुआवजे की पुष्टि के लिए पर्याप्त जानकारी शामिल होगी। अस्थायी, प्रेषण और आउटसोर्स किए गए श्रम के सभी उपयोग स्थानीय कानून की सीमाओं में होंगे।

5) मानवीय व्यवहार

हिंसा, लिंग आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक जबरदस्ती, धमकाने, सार्वजनिक रूप से शर्मनाक या श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार सहित कोई कठोर या अमानवीय व्यवहार नहीं है; न ही इस तरह के किसी भी बर्ताव का खतरा है। इन अपेक्षाओं के समर्थन में अनुशासनिक नीतियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा कामगारों को सूचित किया जाएगा।

6) गैर-भेदभाव/गैर-उत्पीड़न

प्रतिभागियों को ऐसे कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो को उत्पीड़न और गैरकानूनी भेदभाव से मुक्त हो। कंपनियां भर्ती करने तथा रोजगार की परिपाटियों जैसे मजदूरी, पदोन्नति, पुरस्कार और प्रशिक्षण तक पहुंच में प्रजाति, रंग, आयु, लिंग, यौन झुकाव, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति, जातीयता या राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, गर्भावस्था, धर्म, राजनीतिक संबद्धता, यूनियन की सदस्यता, कवर की गई वयोवृद्ध स्थिति, संरक्षित आनुवांशिक जानकारी या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न नहीं करेंगी। कामगारों को धार्मिक प्रथाओं के लिए उचित आवास प्रदान किया



जाएगा। इसके अलावा, कामगारों या संभावित कामगारों को गर्भावस्था या कौमार्य परीक्षणों समेत ऐसे मेडिकल परीक्षण या शारीरिक परीक्षाओं के अधीन नहीं करना चाहिए, जिसे भेदभावपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता हो। इसे आईएलओ भेदभाव (नियोजन और व्यवसाय) कन्वेंशन (No.111) के लिहाज से तैयार किया गया था।

7) संघ बनाने की आजादी

स्थानीय कानून के अनुरूप, प्रतिभागी सभी कामगारों के अपनी पसंद के ट्रेड यूनियनों का गठन करने और उसमें शामिल होने, सामूहिक रूप से सौदा करने तथा शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने के अधिकार का सम्मान तथा साथ ही इस तरह की गतिविधियों से बचने के कामगारों के अधिकार का सम्मान करेंगे। कामगार और/या उनके प्रतिनिधि भेदभाव, प्रतिशोध, धमकी या उत्पीड़न के डर के बिना, काम की दशाओं और प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में प्रबंधन के साथ विचारों और सरोकारों को खुलेआम संवाद और साझा करने में सक्षम होंगे।



B. स्वास्थ्य और सुरक्षा

प्रतिभागी स्वीकार करते हैं कि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य-माहौल, काम से संबंधित चोट और बीमारी की घटनाओं को कम करने के अलावा उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, उत्पादन की निरंतरता और कामगारों के बने रहने और मनोबल को भी बढ़ाता है। प्रतिभागी यह भी स्वीकार करते हैं कि कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों की पहचान और समाधान करने के लिए चल रहे कामगार इनपुट और शिक्षा आवश्यक है।

मान्यता प्राप्त प्रबंधन प्रणालियाँ जैसे ISO 45001 और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ILO के दिशानिर्देश इस संहिता को तैयार करने में संदर्भ के रूप में इस्तेमाल की गई थीं और वे अतिरिक्त जानकारी के एक उपयोगी स्रोत हो सकती हैं।

स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानक हैं:

1) व्यावसायिक सुरक्षा

स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों (रासायनिक, बिजली और अन्य ऊर्जा स्रोतों, आग, वाहनों, और गिरने के खतरों, आदि) के संपर्क में आने की संभावित क्षमता को पहचानना और उनका मूल्यांकन किया जाना है, जिसे नियंत्रण के पदानुक्रम का उपयोग करके कम किया जाता है, जिसमें खतरे को समाप्त करना, प्रतिस्थापन करना, प्रक्रियाओं या सामग्रियों, उचित डिजाइन के माध्यम से नियंत्रित करना, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक नियंत्रणों को लागू करना, निवारक रखरखाव और सुरक्षित कार्य प्रक्रिया (तालाबंदी / टैगआउट सहित), और चल रहे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। जहां इन तरीकों से खतरों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वहां कामगारों को इन खतरों से जुड़े जोखिमों के बारे में समुचित, सुव्यवस्थित, निजी संरक्षी उपकरण और शैक्षणिक सामग्रियां प्रदान की जानी है। गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को उच्च खतरों के साथ काम करने की स्थिति से हटाने, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को किसी भी कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को हटाने या कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें उनके कार्य असाइनमेंट से जुड़े लोग भी शामिल हैं, और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए मुनासिब आवास मुहैया कराएं।

2) आपातकालीन तैयारी

संभावित आपातकालीन स्थितियों और घटनाओं की पहचान और मूल्यांकन किया जाना है, और आपातकालीन योजनाओं और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को लागू करके उनके प्रभाव को कम किया जाना है जिसमें आपातकालीन रिपोर्टिंग, कर्मचारी अधिसूचना और निकासी कार्यविधियाँ, श्रमिक का प्रशिक्षण और ड्रिल्स शामिल है। आपातकालीन ड्रिलों को कम से कम सालाना या स्थानीय कानून की अपेक्षा के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए, जो भी अधिक सख्त हो। आपातकालीन योजनाओं में उपयुक्त आग का पता लगाने और शमन करने वाले उपकरण, स्पष्ट और अबाधित निकास, पर्याप्त निकास सुविधाएं, आपातकालीन उत्तरदाताओं की संपर्क जानकारी, और रिकवरी योजनाएं भी शामिल होनी चाहिए। ऐसी योजनाओं और प्रक्रियाओं में जीवन, पर्यावरण और संपत्ति को नुकसान कम करने पर ध्यान दिया जाएगा।



3) व्यावसायिक चोट और बीमारी

व्यावसायिक चोट और बीमारी को रोकने, प्रबंधन करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं मौजूद होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं: कर्मचारी रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना; चोट और बीमारी के मामलों को वर्गीकृत और दर्ज करना; आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करना; मामलों की जांच और उनके कारणों को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई लागू करना; और कामगारों के काम पर लौटने की सुविधा प्रदान करना।

4) औद्योगिक स्वच्छता

नियंत्रणों के अनुक्रम के अनुसार, कामगारों के रासायनिक, जैविक और भौतिक एजेंटों के संपर्क में आने का पता लगाया जाना, उनका मूल्यांकन किया जाना और नियंत्रित किया जाना है। यदि किन्हीं संभावित खतरों की पहचान की गई हो तो प्रतिभागी संभावित खतरों को समाप्त और/या कम करने के अवसरों की तलाश करेंगे। यदि खतरों का उन्मूलन या कमी संभव नहीं है, तो संभावित खतरों को उचित डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से नियंत्रित किया जाना है। जब खतरे को इस तरह के तरीकों से पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता हो, तो कामगारों को समुचित, अच्छी तरह से बनाए गए, निजी संरक्षी उपकरण मुफ्त दिया जाए और वे उसका उपयोग करें। सुरक्षात्मक कार्यक्रम जारी रहेंगे और इन खतरों से जुड़े जोखिमों के बारे में शैक्षिक सामग्री शामिल होगी।

5) शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण काम

मैनुअल रूप से सामग्री के रखरखाव और भारी या बार-बार उठाने वाले, लंबे समय तक खड़े रहने वाले और अत्यधिक दोहराव या बलात् संयोजन के कार्यों सहित, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्यों के खतरों के प्रति कामगार के संपर्क में आने की पहचान की जानी है, मूल्यांकन और नियंत्रण किया जाना है।

6) मशीन की हिफाजत

उत्पादन और अन्य मशीनरी का सुरक्षा खतरों के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। जहां मशीनें कामगारों को चोट का खतरा प्रस्तुत करती हैं, वहां शारीरिक रक्षक, इंटरलॉक और बाधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए और उनका ठीक से अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

7) स्वच्छता, भोजन, और आवास

कामगारों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा, पेयजल और सेनेटरी फूड की तैयारी, भंडारण और खाने की सुविधा तक पहुंच प्रदान की जानी है। प्रतिभागी या किसी कामगार एजेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए कामगार शयनागार को स्वच्छ और सुरक्षित रखा जाना है, और उन्हें उपयुक्त आपातकालीन निकास, स्नान और शॉवर के लिए गर्म पानी, पर्याप्त प्रकाश व गर्मी और वातायन, व्यक्तिगत और बहुमूल्य वस्तुओं को भंडारित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित आवास, और उचित प्रवेश और निकास विशेषाधिकारों के साथ उचित व्यक्तिगत स्थान प्रदान किया जाना है।



8) स्वास्थ्य और सुरक्षा संसूचना

प्रतिभागी कामगारों को कामगार की भाषा में या किसी ऐसी भाषा में कार्यस्थल के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उन सभी पहचाने गए खतरों की जिनके संपर्क में वे आते हैं, उचित जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, अग्नि और भौतिक खतरे शामिल हैं लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी को स्पष्ट रूप से सुविधा में पोस्ट किया जाएगा या श्रमिकों द्वारा पहचाने जाने योग्य और सुलभ स्थान पर रखा जाएगा। सभी कामगारों को काम की शुरुआत से पहले और उसके बाद नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। कामगारों को बिना प्रतिशोध के सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।



C. पर्यावरण

प्रतिभागी मानते हैं कि विश्व स्तर के उत्पादों के निर्माण के लिए पर्यावरण की ज़िम्मेदारी अनिवार्य है। प्रतिभागी पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करेंगे और जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करते हुए उनके विनिर्माण कार्यों के भीतर समुदाय, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करेंगे। इस संहिता को तैयार करने में मान्यता प्राप्त प्रबंधन प्रणालियों जैसे ISO 14001 और पारिस्थितिकी प्रबंधन और लेखापरीक्षा प्रणाली (Eco Management and Audit System-EMAS) को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था और वे अतिरिक्त जानकारी के एक उपयोगी स्रोत हो सकते हैं।

पर्यावरणीय मानक हैं:

1) पर्यावरणीय परमिट और रिपोर्टिंग

सभी वांछित पर्यावरणीय परमिट (जैसे, डिस्चार्ज की निगरानी), अनुमोदन और पंजीकरण प्राप्त किए जाने तथा बनाए रखे जाने हैं तथा उनकी प्रचालनात्मक और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना है।

2) प्रदूषण निवारण और संसाधन न्यूनकरण

प्रदूषकों और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन और डिस्चार्ज को ऐसी प्रथाओं जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाकर; उत्पादन, रखरखाव और सुविधा प्रक्रियाओं को संशोधित करके; या अन्य तरीकों से स्रोत पर कम या समाप्त किया जाना है। पानी, जीवाश्म ईंधन, खनिज और उपयोग में नहीं लाए गए वन उत्पादों सहित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उत्पादन, रखरखाव और सुविधा प्रक्रियाओं, सामग्री प्रतिस्थापन, पुनः उपयोग, संरक्षण, रीसाइक्लिंग, या अन्य साधनों को संशोधित करने जैसी प्रथाओं द्वारा संरक्षित किया जाना है।

3) खतरनाक पदार्थ

ऐसे रसायन, अवशिष्ट और अन्य सामग्रियों की जो मनुष्यों या पर्यावरण के लिए खतरे पैदा करते हैं, उनकी सुरक्षित हैंडलिंग, आवाजाही, भंडारण, उपयोग, रीसाइक्लिंग या पुनः उपयोग और निपटान सुनिश्चित करने के लिए पहचान, लेबलिंग और प्रबंधन किया जाना चाहिए।

4) ठोस अपशिष्ट

ठोस अपशिष्ट (गैर-खतरनाक) की पहचान, प्रबंधन करने, इसे कम करने और ज़िम्मेदारी से इसका निपटान करने या पुनर्चक्रित करने के लिए प्रतिभागी सुनियोजित पद्धति को कार्यान्वित करेंगे।



5) वायु उत्सर्जन

प्रचालन से उत्पन्न वाष्पशील ऑर्गेनिक पदार्थों, एरोज़ोल, संक्षारकों, कणों, ओज़ोननाशक पदार्थों और दहन सम्बंधित उपोत्पादों के वायु उत्सर्जन को चिह्नित करना,

नियमित रूप से निगरानी करना, नियंत्रित करना और आवश्यकतानुसार विसर्जन से पहले उपचारित करना आवश्यक है। ओज़ोन की परत को नष्ट करने वाले पदार्थों का रखरखाव मॉटियल प्रोटोकॉल और लागू विनियमों के अनुसार प्रभावी ढंग से किया जाना है। प्रतिभागी अपनी वायु उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी करेंगे।

6) सामग्रियों के प्रतिबंध

प्रतिभागियों को पुनर्चक्रण और निपटान के लिए लेबलिंग समेत, उत्पाद एवं विनिर्माण क्षेत्र में विशिष्ट पदार्थों के प्रतिबंध या रोक से संबन्धित सभी लागू कानूनों, विनियमों और ग्राहक अपेक्षाओं को मानना आवश्यक है।

7) जल प्रबंधन

प्रतिभागी एक ऐसा जल प्रबंधन कार्यक्रम लागू करेगा, जो जल स्रोतों, इस्तेमाल एवं विसर्जन को प्रलेखित, चिह्नित, और उनकी निगरानी करेगा; जल संरक्षण के अवसर खोजेंगे; और प्रदूषण चैनलों को नियंत्रित करेंगे। विसर्जन या निपटान से पहले सारे अपशिष्ट जल को अपेक्षानुसार चिह्नित, परिवीक्षित, नियंत्रित, और उपचारित करना आवश्यक है। अनुकूलतम कार्य-निष्पादन और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रतिभागी अपने अपशिष्ट जल उपचार और नियंत्रण प्रणाली के कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी करेंगे।

8) ऊर्जा उपभोग एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

प्रतिभागियों को कॉर्पोरेट-व्यापी ग्रीनहाउस गैस कम करने का लक्ष्य स्थापित करना है। ऊर्जा उपभोग एवं सभी संबन्धित कार्यक्षेत्र 1 और 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को ट्रैक, प्रलेखित, और सार्वजनिक रूप से ग्रीनहाउस गैस कम करने के लक्ष्य के विरुद्ध रिपोर्ट किया जाना है। प्रतिभागियों को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और अपनी ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के तरीकों की तलाश करनी है।



D. आचारनीति

सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और बाज़ार में सफलता हासिल करने के लिए, प्रतिभागियों एवं उनके एजेंटों को नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए जिसमें ये शामिल हैं:

1) व्यावसायिक सत्यनिष्ठा

सभी व्यापारिक संबन्धों में सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा जाना है। किसी भी और सभी प्रकार की रिश्ततखोरी, भ्रष्टाचार, ज़बरन वसूली और गबन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिभागियों में शून्य सहिष्णुता नीति होगी।

2) कोई अनुचित लाभ नहीं

रिश्तत या अनुचित या अनुपयुक्त लाभ के अन्य साधनों का वादा, पेशकश, अधिकृत करने, देने या स्वीकार करने की मनाही है। इस निषेध में, व्यापार प्राप्त करने या बनाए रखने, किसी व्यक्ति से सीधे व्यापार, या अन्यथा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान वस्तु का वादा, पेशकश, स्वीकृति, देना या स्वीकार करना शामिल है। भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, रिकार्ड को बनाए रखना और प्रवर्तन प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी।

3) सूचनाओं का प्रकटन

सभी व्यापारिक लेनदेन पारदर्शी रूप से किए जाएंगे और प्रतिभागी की व्यावसायिक बहियों एवं रिकॉर्डों में सटीक रूप से दर्शाए जाएंगे। प्रतिभागी के श्रमिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रथाओं, कारोबारी गतिविधियों, संरचनाओं, वित्तीय स्थिति और निष्पादन के बारे में जानकारी लागू विनियमों और प्रचलित उद्योग प्रथाओं के अनुसार प्रकट की जानी है। आपूर्ति शृंखला में अभिलेखों की जालसाज़ी या परिस्थितियों या प्रथाओं की गलत प्रस्तुति अस्वीकार्य है।

4) बौद्धिक संपदा

बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान किया जाना है; प्रौद्योगिकी और जानकारी को बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करते हुए हस्तांतरित करना चाहिए; और, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता की जानकारी को संरक्षित किया जाना चाहिए।

5) निष्पक्ष कारोबार, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा

निष्पक्ष कारोबार, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा के मानदंडों को बरकरार रखना है।



6) पहचान की सुरक्षा और गैर-प्रतिशोध

ऐसे कार्यक्रम जो जब तक कानून द्वारा निषिद्ध न हो, आपूर्तिकर्ता और मुखबिर कर्मचारी² की गोपनीयता, गुमनामी और सुरक्षा सुनिश्चित करते हों का बनाए रखा जाए। प्रतिशोध के डर के बिना किसी भी सरोकार को उठाने में सक्षम करने के लिए प्रतिभागियों के पास अपने कर्मिकों के लिए एक संसूचना प्रक्रिया होनी चाहिए।

7) खनिजों की ज़िम्मेदार सोर्सिंग

प्रतिभागी अपने द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उत्पादों में टैंटलम, टिन, टंगस्टन और सोना की अभिरक्षा के स्रोत और शृंखला पर नीति अपनाएंगे और सम्यक उद्यम की कवायद करेंगे, जिससे तर्कसंगत ढंग से आश्वस्त कर सकें कि उनका दोहन उस तरह से किया जाता है जो कि संघर्ष-प्रभावित व उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों या समतुल्य और मान्य सम्यक उद्यम ढाँचे से खनिजों की ज़िम्मेदार आपूर्ति शृंखला हेतु आर्थिक सहयोग व विकास (OECD) मार्गदर्शन के लिए संगठन से मेल खाता हो।

8) गोपनीयता

प्रतिभागियों को उन सभी की निजी गोपनीयता की अपेक्षाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जिनसे वे व्यापार करते हैं, जिसमें आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, उपभोक्ता और कर्मचारी शामिल हैं। जब व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित, भंडारित, संसाधित, प्रेषित और साझा की जाती है, तो प्रतिभागियों को गोपनीयता और सूचना सुरक्षा कानूनों और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

² मुखबिर की परिभाषा: कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी के किसी कर्मचारी या अधिकारी अथवा किसी सार्वजनिक अधिकारी या आधिकारिक निकाय द्वारा किए गए अनुचित आचरण के बारे में खुलासा करता है।

ज़िम्मेदार व्यावसायिक गठबंधन आचार संहिता सं7.0



E. प्रबन्धन प्रणालियाँ

प्रतिभागियों को एक प्रबंधन प्रणाली को अपनाना या स्थापित करना होगा जो इस कोड की सामग्री से संबंधित है। प्रबंधन प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की जाएगी: (a) प्रतिभागी के प्रचालन और उत्पादों से संबंधित लागू कानूनों, विनियमों और ग्राहकों की अपेक्षाओं का अनुपालन; (b) इस संहिता के अनुरूप होना; और (c) इस संहिता से संबंधित प्रचालन जोखिमों की पहचान और शमन। यह निरंतर सुधार को भी सुकर बनाए।

प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए:

1) कंपनी की प्रतिबद्धता

कॉर्पोरेट सामाजिक और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी नीति का वक्तव्य, जो अनुपालन और निरंतर सुधार के लिए प्रतिभागी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, कार्यकारी प्रबंधन द्वारा अनुमोदित हो और सुविधाकेंद्र में स्थानीय भाषा में पोस्ट किया गया है।

2) प्रबंधन की जवाबदेही और उत्तरदायित्व

प्रबंधन प्रणालियों और संबद्ध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागी वरिष्ठ कार्यकारी और कंपनी प्रतिनिधि (यों) को स्पष्ट रूप से ज़िम्मेदारी देगा। वरिष्ठ प्रबंधन नियमित रूप से प्रबंधन प्रणालियों की स्थिति की समीक्षा करता है।

3) कानूनी और ग्राहक की अपेक्षाएं

इस संहिता की आवश्यकताओं सहित, लागू कानूनों, विनियमों, और ग्राहक की आवश्यकताओं की पहचान, निगरानी और समझ की एक प्रक्रिया।

4) जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन

प्रतिभागी के प्रचालन से संबन्धित कानूनी अनुपालन, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सुरक्षा³ और श्रमिक परिपाटी और नैतिक जोखिमों की पहचान की एक प्रक्रिया। प्रत्येक जोखिम के सापेक्ष महत्व का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिमों के नियंत्रण और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रियात्मक और भौतिक नियंत्रण का कार्यान्वयन

³ पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा के जोखिम मूल्यांकन में शामिल क्षेत्रों में उत्पादन के क्षेत्र, गोदाम और भंडारण सुविधाएं, संयंत्र/सुविधा सहायता उपकरण, प्रयोगशालाएं और परीक्षण क्षेत्र, स्वच्छता सुविधाएं (बाथरूम), रसोईघर/कैफेटेरिया और कार्यकर्ता आवास/शयनागार शामिल हैं।

ज़िम्मेदार व्यावसायिक गठबंधन आचार संहिता सं7.0



5) सुधार के उद्देश्य

प्रतिभागियों के सामाजिक, पर्यावरण, और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लिखित प्रदर्शन के उद्देश्य, लक्ष्य और कार्यान्वयन योजनाएं, जिसमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रतिभागी के प्रदर्शन का आवधिक मूल्यांकन शामिल है।

6) प्रशिक्षण

प्रतिभागी की नीतियों, कार्यविधियों और सुधार उद्देश्यों के कार्यान्वयन और लागू कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबन्धकों और श्रमिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7) संसूचना

श्रमिकों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को प्रतिभागी की नीतियों, प्रथाओं, उम्मीदों और निष्पादन के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी के बारे में सूचित करने की एक प्रक्रिया।

8) कामगार का फीडबैक, भागीदारी और शिकायत

इस संहिता द्वारा कवर की गई प्रथाओं और शर्तों के उल्लंघन के बारे में या पर श्रमिकों की समझ का मूल्यांकन करने और प्रतिक्रियाएं हासिल करने के लिए तथा निरंतर सुधार के लिए एक प्रभावी शिकायत तंत्र सहित सतत प्रक्रियाएं। कामगारों को बदला या प्रतिशोध के डर के बिना शिकायत और फीडबैक प्रदान करने के लिए सुरक्षित वातावरण दिया जाना चाहिए।

9) लेखापरीक्षा और मूल्यांकन

कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, सामाजिक और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी से संबंधित संहिता की विषय वस्तु और ग्राहक संविदात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवधिक आत्म-मूल्यांकन।

10) सुधारात्मक कार्रवाई प्रक्रिया

आंतरिक एवं बाहरी मूल्यांकन, निरीक्षण, जाँच एवं समीक्षाओं द्वारा पहचानी जाने वाली कमियों के सामयिक सुधार की एक प्रक्रिया।

11) प्रलेखन और अभिलेख

निजता की सुरक्षा के लिए उचित गोपनीयता के साथ कंपनी की आवश्यकतानुसार विनियामक अनुपालन और अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ों और अभिलेखों की रचना और रखरखाव।



12) आपूर्तिकर्ता की ज़िम्मेदारी

आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस संहिता की अपेक्षाओं को संप्रेषित करने और आपूर्तिकर्ता द्वारा संहिता के अनुपालन की निगरानी के लिए एक प्रक्रिया।



संदर्भ

इस संहिता की तैयारी में निम्नलिखित मानकों का इस्तेमाल किया गया था और ये अतिरिक्त जानकारी के उपयोगी स्रोत हो सकते हैं। निम्नलिखित मानकों का प्रत्येक भागीदार द्वारा समर्थन किया या नहीं किया जा सकता है।

Dodd-Frank Wall Street Reform और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

<http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>

इको प्रबंधन और लेखा-परीक्षा प्रणाली http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org/

सुरक्षा और स्वास्थ्य में परिपाटी की आईएलओ संहिता

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf

ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm

ISO 14001 www.iso.org

नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन www.nfpa.org

संघर्ष-प्रभावित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की उत्तरदायी सप्लाय चेंनों हेतु OECD सम्यक परिश्रम

<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए OECD के दिशानिर्देश

<http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf>

मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र करार

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने पर संयुक्त राष्ट्र करार

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कंपैक्ट www.unglobalcompact.org

संयुक्त राज्य संघीय अधिग्रहण विनियम www.acquisition.gov/far/

एसए 8000 <https://sa-intl.org/programs/sa8000/>

Social Accountability International (SAI) www.sa-intl.org

ज़िम्मेदार व्यावसायिक गठबंधन आचार संहिता सं7.0



दस्तावेज़ का इतिहास

संस्करण 1.0 – जारी अक्टूबर 2004

संस्करण 1.1 – जारी मई 2005 RBA प्रारूप में परिवर्तित प्रलेख, पृष्ठ के लेआउट में मामूली संशोधन; कोई सामग्री परिवर्तित नहीं की गयी।

संस्करण 2.0 – कई प्रावधानों में संशोधन के साथ अक्टूबर 2005 में जारी किया गया।

संस्करण 3.0 – कई प्रावधानों में संशोधन के साथ जून 2009 में जारी किया गया।

संस्करण 4.0 – कई प्रावधानों में संशोधन के साथ अप्रैल 2012 में जारी किया गया।

संस्करण 5.0 – कई प्रावधानों में संशोधन के साथ नवंबर 2014 में जारी किया गया।

संस्करण 5.1 – A1 में संशोधन के साथ मार्च 2015 में जारी किया गया जो 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा।

संस्करण 6.0 – कई प्रावधानों में संशोधन के साथ जनवरी 2018 में जारी किया गया।

संस्करण 7.0 – कई प्रावधानों में संशोधन के साथ जनवरी 2021 को जारी किया गया

शुरूआत में RBA की आचार संहिता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में लगी कई कंपनियों द्वारा जून और अक्टूबर 2004 के बीच विकसित की गयी थी। कंपनियों को यह संहिता अपनाने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया जाता है। आप यहाँ से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

<http://www.responsiblebusiness.org>

RBA आचार संहिता का आधिकारिक संस्करण अंग्रेज़ी में है। यह अनुवाद

सौजन्य के रूप में प्रदान किया गया है